

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-03/2015/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

निदेशक,

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, खगड़िया एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में । कुल आवंटित राशि रु0 29,98,300/- (उन्नीस लाख अठानवें हजार तीन सौ) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. उक्त पत्र के आलोक में 01 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि से गैर योजना मद के अन्तर्गत राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. कंडिका-3(2) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-N/3454022040001 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 05 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी । साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 के दायित्वों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवंटन से किया जाय।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन-

ह0/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

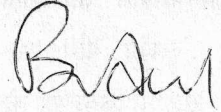
निदेशक

ज्ञापांक 33/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)

2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद वर्मा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दें।



निदेशक



आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उम शीर्ष- 0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी । मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जिला सांख्यिकी कार्यालय												
1	नवादा	383000	420000	-	-	300	-	803300	-	-	-	803300
2	जहानाबाद	110000	125000	-	-	7000	-	242000	-	-	-	242000
3	नालंदा	356000	452920	600	-	4600	-	814120	-	-	-	814120
4	खगड़िया	149000	188088	-	-	1600	-	338688	-	-	-	338688
5	गोपालगंज	381500	412692	-	-	6000	-	800192	-	-	-	800192
कुल योग:-		1379500	1598700	600	0	19500	0	2998300	0	0	0	2998300

(उन्नीस लाख अन्तानवें हजार तीन सौ) रुपये मात्र।

Badul

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

पुष्प
28/1/16